

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत सीएसआर परियोजनाएं

क्र म स.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान.		परियोजना पर व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)।	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से		
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या	
1	(i) 01 एलोपैथिक डिस्पैसरी और 05 होम्योपैथी डिस्पैसरी का संचालन	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (i) अर्थात् भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	49.11	नहीं	सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 000 16241	
					उत्तरकाशी	2.91	नहीं			
					देहरादून	8.24	नहीं			
	(ii) चिकित्सा शिविरों/ चिकित्सा उपचार आदि के लिए स्वास्थ्य हस्तक्षेप के माध्यम से सहायता		हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	78.73	नहीं			
					हरिद्वार	2.49	नहीं			
					बिजनौर	3.93	नहीं			
	(iii) चिकित्सा उपकरणों के लिए सहायता		हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	52.82	नहीं			
					देहरादून	17.15	नहीं			
					हरिद्वार	10.81	नहीं			
	(iv) उत्तराखण्ड सरकार के लिए कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोल्ड चेन उपकरण		नहीं	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	20.72	नहीं			
					मध्य प्रदेश	4.96	नहीं			
					संपूर्ण उत्तराखण्ड	95.53	नहीं			
	(v) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन के लिए योगदान राज्य सरकार को सहायता देने के लिए कोष राहत एवं पुनर्वास उपाय		नहीं	उत्तराखण्ड	संपूर्ण उत्तराखण्ड	50.00	नहीं			
					टिहरी	24.56	नहीं			
					देहरादून	6.54	नहीं			
	(vi) सावेजनिक सेवाओं के लिए ज़िला प्राधिकरणों और कल्याण एजेंसियों को बनियादी ढांचा संहायता।		हाँ	मध्य प्रदेश	हरिद्वार	1.99	नहीं			
					अमेलिया	2.35	नहीं			
					टिहरी	34.76	नहीं			

	(vii) कोविड-19 के अंतर्गत मास्क,		हाँ	देहरादून	21.65	नहीं		
	(viii) पेयजल सुविधा एवं जल/जल योजना/पानी टैंकर आदि।		हाँ	मध्य प्रदेश	अमेलिया	8.04	नहीं	
	(ix) “हमेशा के लिए” पेयजल-मेघदूत-वायुमंडलीय जल उत्पादन (एडब्ल्यूजी) की तैनाती		हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	11.94	नहीं	
	(xi) स्वच्छता कार्य योजना एवं स्वच्छता पखवाड़ा		हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	21.33	नहीं	
			हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	14.11	नहीं	
				उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	18.03	नहीं	
				उत्तराखण्ड	देहरादून	27.93	नहीं	
				उत्तराखण्ड	हरिद्वार	14.47	नहीं	
			नहीं	उत्तर प्रदेश	मऊ	7.75	नहीं	
2	(i) अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण अर्थात् कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (ii) दीर्घकालिक कौशल प्रशिक्षण अर्थात् जीएनएम/एएनए म/आईटीआई/डि प्लॉमा आदि और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के	हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	6.90	नहीं	सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)
			उत्तराखण्ड	देहरादून	2.91	नहीं		
	हाँ		उत्तराखण्ड	टिहरी	66.16	नहीं		
			उत्तराखण्ड	देहरादून	109.10	नहीं		
	हाँ		मध्य प्रदेश	अमेलिया	4.00	नहीं		
			उत्तराखण्ड	टिहरी	33.48	नहीं		
			उत्तराखण्ड	उत्तरकाशी	7.45	नहीं		
			उत्तराखण्ड	देहरादून	25.71	नहीं		
			उत्तराखण्ड	हरिद्वार	25.05	नहीं		
	नहीं		उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	8.92	नहीं		
(v) 02 टी.इ.एस. स्कूल, कॉटेश्वर स्कूल चलाना तथा समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को यौनिफॉर्म/फीस आदि उपलब्ध	(v) 02 टी.इ.एस. स्कूल, कॉटेश्वर स्कूल चलाना तथा समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को यौनिफॉर्म/फीस आदि उपलब्ध	हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	11.82	नहीं	सीएसआर 000 16241	
			उत्तराखण्ड	देहरादून	3.65	नहीं		
		हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	205.43	नहीं		
			उत्तराखण्ड	देहरादून	301.77	नहीं		

	(vi) आजीविका संवर्धन / आय सूजन / कृषि हस्तक्षेप / प्रशिक्षण कार्यक्रम एनजीओ / सरकारी संस्थान के माध्यम से जिसमें अभियान कार्यक्रम शामिल हैं।		हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	156.51	नहीं
					उत्तरकाशी	0.50	नहीं
					देहरादून	20.21	नहीं
					हरिद्वार	19.64	नहीं
3	(i) महिला विशिष्ट कौशल कार्यक्रम जैसे सिलाई/जूट/ब्यूटी शियन/अन्य महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (iii) के अनुसार अर्थात् लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए गृह और छात्रावास स्थापित करना, वद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और विशेष रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े सम्हाँ दवारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय।	हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	5.84	नहीं
	(ii) पढ़ाई/आय सूजन गतिविधियों/अन्न थ लङ्कियों/ पांकसो पीडितों के लिए बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए सहायता।		हाँ	उत्तराखण्ड	देहरादून	4.04	नहीं
					हरिद्वार	0.90	नहीं
4	(i) वृक्षारोपण का संवर्धन और संरक्षण	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (iv) अर्थात् पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का	हाँ	उत्तराखण्ड	देहरादून	5.09	नहीं
	(ii)वैकल्पिक/प्रभावी/स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना।		हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	5.92	नहीं
	(iii) जागरूकता &नुक्कड़ नाटक पीएम पर				देहरादून	2.65	नहीं
	(iv) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना				हरिद्वार	4.54	नहीं
			नहीं	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	5.44	नहीं
			नहीं	उत्तराखण्ड	उधम सिंह नगर	2.13	नहीं
			नहीं	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	92.54	नहीं

	(iv) पश्चकल्याण (कांजी हाउस)	संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता	हाँ	उत्तराखण्ड	देहरादून	15.00	नहीं	
		"गंगा नदी के पनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान सहित"	नहीं	उत्तराखण्ड	उधम सिंह नगर	35.29	नहीं	
5	(i) सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए समर्थन आदि। (ii) ऋषिकेश में गंगा घाट क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और महत्वपूर्ण संरचनाओं की अग्रभाग/सञ्जावटी रोशनी से रोशन करना। (iii) संयोजित "आजादी का अमरा" महात्सव (iv) पारपरिक कला और हस्तशिल्प जैसे रिंगल आदि को बढ़ावा देना। (v) श्री बद्रीनाथ आध्यात्मिक स्मार्ट पहाड़ी शहर का निर्माण और पुनर्विकास	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (v) (v) अर्थात राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण जिसमें ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, स्थलों और कला कृतियों का जीर्णाद्धार, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों का संवर्धन और विकास शामिल है।	हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी देहरादून	17.46	नहीं नहीं	सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी) सीएसआर 000 16241
6	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके बुजुर्गों के लाभ के लिए उपाय	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (vi) अर्थात सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके बुजुर्गों के लाभ के लिए उपाय	नहीं	अखिल भारतीय	अखिल भारतीय	10.00	नहीं	सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी) सीएसआर 000 16241

7	<p>(i) खेल किट/खेल गतिविधियों का वितरण</p> <p>(ii) ग्रामीण युवाओं के लिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाचा</p>	<p>कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (vii) अर्थात् ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों, ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना</p>	हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	6.15	नहीं	<p>सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)</p>	सीएसआर000 16241
					उत्तरकाशी	1.28	नहीं		
					देहरादून		नहीं		
			हाँ	मध्य प्रदेश	अमेलिया	2.16	नहीं		
			हाँ	उत्तर उत्तर प्रदेश	झांसी		नहीं		
8	<p>केंद्रीय मान्यता प्राप्त निधियों में योगदान</p>	<p>कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (viii) अर्थात् प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत एवं कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में अंशदान</p>	नहीं	अखिल भारतीय	अखिल भारतीय	405.00	नहीं	<p>सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)</p>	सीएसआर000 16241
9	<p>ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक भवन/शमशानघाट/पथवे आदि का बुनियादी ढांचा निर्माण/मरम्मत।</p>	<p>कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (x) ग्रामीण विकास परियोजनाएँ</p>	हाँ	उत्तराखण्ड	टिहरी	39.72	नहीं	<p>सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)</p>	सीएसआर000 16241
					देहरादून	36.78	नहीं		
					हरिद्वार	7.06	नहीं		
			नहीं	उत्तराखण्ड	पौड़ी गढ़वाल	5.00	नहीं		
			हाँ	मध्य प्रदेश	अमेलिया	7.27	नहीं		
			नहीं	उत्तर प्रदेश	हापुड़	7.50	नहीं		
10	(i) कोविड-19 से लड़ने के लिए उत्तराखण्ड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) को योगदान	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (xi) आपदा एवं विपत्ति सुरक्षा कार्य	नहीं	उत्तराखण्ड	देहरादून	48.79	नहीं	सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर000 16241

(ii) आपदा और विपत्ति के संबंध में जिला प्रशासन को राहत उपाय और सहायता	हाँ	उत्तराखण्ड	ठिहरी	10.36	नहीं	
			देहरादून	0.20	नहीं	
कुल				2646.60		

(क) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि **73.95 लाख**
 (ख) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि **2720.55 लाख**